राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 2019/00031
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 61/2019
दायर दिनांक– 05.11.2019
निर्णय दिनांक– 27.12.2023

1. अनोप पत्नि स्व0 नारायण
2. भंवर लाल पुत्र स्व0 नारायण
3. सुरेश पुत्र स्व0 नारायण
4. जगदीश पुत्र स्व0 नारायण
5. रामेश्वर पुत्र स्व0 नारायण
6. पवन पुत्र स्व0 नारायण
   सर्वजाति कुम्हार, सर्वनिवासी करकेड़ी तहसील रूपनगढ़
7. श्रीमती संजू पुत्री स्व0 नारायण जाति कुम्हार नि0 हाल ग्राम कुचील तह0 किशनगढ़
8. श्रीमती सरोज स्व0 नारायण जाति कुम्हार नि0 हाल ग्राम कालेड़ा तहसील परबतसर जिला नागौर

....प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर

....अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:1. श्री शांतिलाल ढ़ेल, अधि0 प्रार्थीगण
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपगनढ़

–:निर्णयः–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने धारा 88,188 रा0का0अधि0 के तहत न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। ग्राम करकेड़ी पटवार हल्का करकेड़ी, तहसील रूपनगढ़ के ख0न0 166/2 रकबा 06 बीघा 14 बिस्वा भूमि भूमि अवस्थित है,। उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का अपने ससुर/दादा स्व0 भैरू पुत्र सुखा एवं पति/पिता नारायण पुत्र भैरूराम जाति कुम्हार के 50–60 वर्षो से अधिक समय से निर्विवाद रूप से अधिकार आधिपत्य कब्जा चला आ रहा है।प्रार्थीगण वर्णित भूमि पर सतत् निरन्तर अधिकार पूर्वक आधिपत्य में चले आ रहे है। सम्वत् 2031, 2032 व 2033 की खसरा गिरदावरी में प्रार्थीगण के दादा/ससुर का नाम बतौर काश्तकार दर्ज है जिसकी पुष्टि पटवार हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक करकेड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व मौका पर्चा दिनांक 18.10.2018 से सिद्ध होता है। वाद वर्णित भूमि वर्तमान में खाता संख्या 1 में राजस्थान सरकार के खाते में राजकीय भूमि के रूप में दर्ज है। वर्तमान ख0न0 166/2 के भूमि एकीकरण मिलान क्षेत्रफल अनुसार एकीकरण पूर्व ख0न0 784 रकबा 6–12 बीघा थे, जो कि सम्वत् 2010 से 2019 तक की खतौनी बन[illegible] सप्तऋषि ब्राह्मण के नाम से गलत रूप से इन्द्राज किया हुआ था। इसी प्रकार सम्वत् 2020 [illegible] एकीकरण की जमाबन्दी में गलत रूप से सप्तऋषि ब्राह्मण के नाम से दर्ज किया हु[illegible] जबकि कब्जा प्रार्थीगण के पति/पिता नारायण पुत्र भैरू व ससुर/दादा भैरूराम पुत्र सुखा का चला आ रहा है। स[illegible] 2022 से 2025 की जमाबन्दी में सप्तऋषि ब्राह्मण के नाम से [illegible] खाता संख्या 212/207 स[illegible] खाते को बिलानाम दर्ज कर दिये जाने का इन्द्राज का अंकन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 15:43:05 IST
Reason: SelfAttested

23/12/23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

ख0न0 166 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा में से 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि आवंटन नियमन की गयी थी। सप्तऋषि ब्राह्मण के नाम का खाता सम्पूर्ण बिलानाम दर्ज करने के आदेश हो जाने तथा आदेश का अंकन सम्वत् 2022 से 2025 की जमाबन्दी में कर दिये जाने के बावजूद भी गलत रूप से सप्तऋषि ब्राह्मण नाम का इन्द्राज जमाबन्दियों में बदस्तूर जारी रहा। राज्य सरकार द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां गलत इन्द्राज को हटाये जाने बाबत् व भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने बाबत् एक वाद माननीय न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार बनाम सप्तऋषि ब्राह्मण के उनवान से राजस्व वाद संख्या 88/2012 प्रस्तुत जिसका माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 02.11.2018 को निर्णय कर भूमि को सिवायचक दर्ज किया जो भूमि खसरा नम्बर 166/2 सिवायचक भूमि के रूप में खाता संख्या 1 में दर्ज है। प्रार्थीगण वाद वर्णित भूमि पर सतत् निरन्तर 50–60 वर्षो से अधिक समय से अधिकारस्वरूप आधिपत्य चला आ रहा है। प्रार्थीगण वाद वर्णित भूमि के विधि प्रावधानों के अनुसार कानूनी खातेदार काश्तकार हो चुके है तथा भूमि के एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदार काश्तकार हो चुके है। प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके है। अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज होने के कारण भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा हो रहे है। प्रार्थीगण का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भूमि पर स्वत्व अधिकार, आधिपत्य परिपक्व होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के अनुसार प्रार्थीगण विधि प्रभाव से खातेदार बन चुके है। वाद वर्णित भूमि का गलत रूप से अप्रार्थी के खातेदारी में अंकन के स्थान पर विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीगण के खातेदार हो जाने तथा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रार्थीगण के खातेदार काश्तकार घोषित करने की घोषणात्मक डिक्री प्रार्थीगण के पक्ष में पारित की जानी चाहिए तथा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से प्रकरण में जवाब प्राप्त। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम करकेड़ी की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 01 में ख0न0 166/2(नवीन ख0न0 1201/166) रकबा 06–14 बीघा राजकीय खाते में सिवायचक दर्ज है। ग्राम करकेड़ी के खाता संख्या 01 में ख0न0 166/2(नवीन ख0न0 1201/166) रकबा 06–14 बीघा है0 भूमि सिवायचक दर्ज होने के किसी प्रकार का अतिक्रमण हटाने हेतु पैरोकार सरकार स्वतंत्र है। अतः प्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जावें। प्रकरण में वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक, हिस्सा नहीं बनता है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया।

वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल नहीं करने, उपयोग–उपभोग में बाधाकारित नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार तहसीलदार) ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र को अपनी बहस मानने हेतु निवेदन किया। पैरोकार सरकार ने बताया कि वादग्रस्त आराजी सिवायचक भूमि है तथा इससे राजहित प्रभावित होता है। प्रार्थीगण अनाधिकृत रूप से इस भूमि पर काबिज होना चाहते है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र को भारी हर्जाने से खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन एवं उभयपक्ष बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रकरण में वादग्रस्त आराजी सिवायचक है, इससे राजहित भी प्रभावित हो रहा है। प्रार्थीगण के पास ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे उनका खातेदारी अधिकार सिद्ध हो सके। अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होते है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 15:43:05 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] 23/12/23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

27/12/2023

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.09 15:43:05 IST
Reason: SelfAttested